रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

सी.जी.-डी.एल.-अ.-3112026-277620

असाधारण

भाग II – खण्ड 3 – उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

[सं. 5679] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(सड़क सुरक्षा परियोजना इकाई)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5911(अ)—केन्द्रीय सरकार रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से–

1. धूरी-लुधियाना सेक्शन पर कुप - मलेरकोटला स्टेशनों के बीच कि.मी. 44.466 पर स्थित समपार संख्या 42 के स्थान पर 2 लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण मलेरकोटला के निकट।

2. धूरी-लुधियाना सेक्शन पर मलेरकोटला-हिम्मताना स्टेशनों के बीच कि.मी. 45.657 पर स्थित समपार संख्या 43 के स्थान पर 2 लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण मलेरकोटला के निकट।

उत्तर रेलवे के अम्बाला मंडल में स्थित, के निर्माण में लोकप्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु पंजाब के जनपद मलेरकोटला में लगभग **3.7815** हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु **"विशेष रेल परियोजनाओं"** के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं.03/आर.एस.पी./लैंड एक्वीज़ीशन/एल.सी.–42 एवं एल.सी.–43/अम्बाला डिव.]

संजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

3929/26